अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–मा.भुग./आईसीडीएस/17/34970–002 जयपुर, दि0 27/02/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

विषयः–मानदेय कर्मियों के मानदेय, पूरक पोषाहार एवं अन्य लम्बित दायित्वों के बिलों का भुगतान करने बाबत्।

सन्दर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 201–33 दिनांक 01.01.2018 एवं 37238–271 दिनांक 23.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान एवं पूरक पोषाहार के बिलों का भुगतान नियमित रूप से किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे है एवं नियमित प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने के भी निर्देश है। इसके उपरांत भी परियोजना कार्यालयो द्वारा नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं आप द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया जाना विभागीय निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है।

नियमित भुगतान हेतु पूर्व में शासन सचिव, मबावि के पत्र कमांक 48567–903 दिनांक 12.5.11 एवं प्रमुख शासन सचिव, मबावि के पत्रांक 124099–402 दिनांक 5.9.13 से "वेतन बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व वेतन बिल पर यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जाना आवश्यक है कि परियोजना कार्यालय के अधीन कार्यरत मानदेय आधारित कर्मिकों के मानदेय बिल कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिए गए है"। उक्त निर्देशों के उपरांत भी नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाना खेदजनक की स्थिति है जबकि विभाग द्वारा मानदेय एवं पूरक पोषाहार मद के अंतर्गत बजट उपलब्ध है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप मानदेय कर्मियों को मानदेय भुगतान, पूरक पोषाहार एवं लम्बित दायित्वों के बकाया का अविलम्ब भुगतान कराना सुनिश्चित करते हुए, प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत करावें।

27/2/18
वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0,जयपुर।

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–मा.भुग./आईसीडीएस/17/35003–307 जयपुर, दि0 27/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा नियमित भुगतान हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रगति से उपनिदेशक म.बा.वि. को अविलम्ब अवगत करावें।
2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत्।

वित्तीय सलाहकार